(का.) 07692 - 220444
(नि.) 07692 - 220301
(फैक्स) 07692 - 220990

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक / 6946 / अनु0लि0 / 2024 सिवनी दिनांक 25 अक्टूबर, 2024

// आदेश //

(अंतर्गत धारा–163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

आगामी दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए एवं विभिन्न माध्यमो से प्राप्त सूचना प्राप्त के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आज नगरीय क्षेत्र एवं जिला सिवनी के अंतर्गत ग्रामों में संचालित की फटाका दुकानो का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया अधिकांश स्थानो पर छोटी-छोटी बेंच / तखत / टेबल लागाकर आबादी वाले क्षेत्रों में विक्रय किये जाने हेतु फटाका दुकानें लगाई जा रही है एवं कुछ चिल्हर विक्रेता द्वारा रहवासी क्षेत्र में फटाके विक्रय किये जा रहे है जिससे भविष्य मे कभी भी आगजनी जैसी घटना कारित होने की प्रबल संभावना है ।

अतः संपूर्ण सिवनी जिले मे दिनांक 25.10.2024 को लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिक की सुरक्षा तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु मै सुश्री संस्कृति जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी, (म.प्र.) भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 (पुरानी धारा- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ जिला सिवनी के अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी फटाखा विक्रेता रहवासी क्षेत्र में फटाखा विक्रय नही करेगा, ना ही उसका भण्डारण करेंगा । अतः दीपावली पर्व के दौरान रहवासी क्षेत्र मे फटाका विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

(2) दीपावली पर्व के दौरान आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रहवासी क्षेत्र में फटाका विक्रय एवं भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा । (३) किसी भी उद्देश्य से रहवासी क्षेत्र ने फटाका विक्रय एवं भंडारण नही किया जावेंगा । (4) अनुमति प्राप्त अस्थाई फटाका दुकान चयनित स्थल पर ही लगाई जावे अन्य स्थल पर पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेंगी । (5) आतिशबाजी / फटाका की अस्थायी दुकाने एक दूसरे से परस्पर दूरी पर हो ताकि अचानक संभावित आगजनी / दुर्घटना को रोका जा सके। अस्थाई फटाका दुकान एक दूसरे के आमने सामने ना हो। (6) सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानो मे प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल लैम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग न हो, बिजली लाईन का प्रयोग होने से उसे या दीवार पर या छत पर दृढता से लगाया जावे, बिजली के तार लटके न हो, इन बत्तियों के लिए स्वीच दीवार पर लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानो के लिए मास्टर स्वीच लगाना आवश्यक होंगा (7) फटाका विक्रय हेतु चयनित स्थल पर आतिशबाजी / फटाखा का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित होंगा (8) फटाका दुकान हेतु प्रत्येक मास्टर स्वीच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये जिससे शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाये (9) फटाका दुकान में विद्युत कनेक्शन हेतु संबंधित विभाग से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होंगा । (10) प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान मे पानी से भरे ड्रम एवं रेत से भरे कम से कम 2 बाल्टी रखेगा (11) फटाका दुकान पर धुम्रपान एवं ज्वलनशील पदार्थ / माचिस इत्यादि का उपयोग पूर्णतः निषेध होगा, जिसका बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होंगा (12) प्रत्येक लायसेंसी को अपना लायसेंस दुकान में प्रदर्शित करना होंगा एवं बिना लायसेंस के एवं लायसेंस से हटकर कोई भी दुकानदार विक्रय करते पाया गया हो संबंधित थाना प्रभारी द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी । 13) अधिकृत स्थल के अलावा यदि कोई लायसेंसधारी अथवा बिना लायसेंसी के फटाका विक्रय किया जाता है तो विस्फोटक अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जायेंगी । (14) आमजन की सुरक्षा हेतु फटाका विक्रय हेतु चयनित स्थल पर नगरपालिका/संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पानी के टैंकर/ फायर ब्रिगेड 24 घंटे उपलब्ध कराई जावेगी (15) माननीय उच्च न्यायालय/भारत सरकार पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-ई (1) 1/ फायरवर्क्स दिनांक 11.09.2024 के अनुरूप आतिशबाजी की दुकान विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के तहत त्यौहारो के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय हेतु जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य होंगा । (16) सडक किनारे/गलीयों मे घरो के निकट रहवासी क्षेत्र जहां आमजन का रहवास/आवागमन होता है आतिशबाजी / फटाका विक्रय दुकाने पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी (17) समस्त अस्थाई फटाखा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी रहवासी क्षेत्र मे सडक के किनारे / घर पर या किराना दुकानो पर फटाखा विक्रय नही करेंगा, उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलो, प्रांतीय सशस्त्र बल, होमगार्ड, केन्द्रीय पुलिस, बैंको के गार्डों, दूरसंचार के गार्डो जो कि सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के लिए अधिकृत किये गये है, वे कर्तव्य के दौरान डियूटी हेतु प्रयुक्त शस्त्रो के उपयोग पर लागू नही होगा ।

चूंकि परिस्थितियां ऐसी है कि जनसाधारण को पृथक से सूचना तामिल कराना संभव नही है । अतः यह आदेश भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 (पुरानी धारा- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है । यह आदेश जन सामान्य को सूचनार्थ एवं पालनार्थ संबोधित है । उक्त आदेश आज दिनांक 25.10.2024 को शाम 6.00 बजे से दिनांक 15.11.2024 तक प्रभावशील होगा ।

यह आदेश संपूर्ण जिला सिवनी म0प्र0 पर लागू होंगा । जनसंपर्क विभाग द्वारा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जावे । आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 (पुरानी धारा-भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।

(सुश्री संस्कृति जैन)
जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी

पृ.क्रमांक / 69464 अनु0लि0 / 2024 — सिवनी दिनांक 25 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि :—

1—सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

2—कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।

3—पुलिस अधीक्षक, सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3914/4040/2020/दो/सी—2 भोपाल, दिनांक 31/10/2021 की कंडिका—2 अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4—मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी को सूचनार्थ ।

5—अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सिवनी/लखनादौन, जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

6—मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी को सूचनार्थ ।

7—परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, सिवनी को सूचनार्थ ।

8—समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग .... जिला सिवनी की ओर बारहमासी पटाखा लायसेंसधारियों की सूची तथा अन्डरटेकिंग/स्व—घोषणा पत्र की प्रति संलग्न भेजकर लेख है कि प्रत्येक पटाखा व्यवसायी से स्व—घोषणा पत्र प्राप्त कर स्थल का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार जॉच करें। तथा कृत कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें ।

9—सहायक संचालक, जनसम्पर्क, सिवनी को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में आदेश प्रकाशन हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
सिवनी

Scanned with OKEN Scanner